



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1409]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 13, 2010/आषाढ़ 22, 1932

No. 1409]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13, 2010/ASADHA 22, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2010

का.आ. 1662(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कृत्यों के क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में और स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन सशक्त अधिकारियों को पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भेजे गए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूनों का विश्लेषण करने के प्रयोजनों के लिए सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता प्रदान करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में :—(i) क्रम संख्यांक 12 और 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	से लागू और तक विधिमान्य
(1)	(2)	(3)	(4)
" 12	मैसर्स होराईजन सर्विस (इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी), 39, श्यामसुन्दर सोसायटी, नियर महात्रे ब्रिज, पुणे-411033 (महाराष्ट्र)	(1) श्री कुणाल मनोहर नरगोलकर (2) डॉ अर्चना वय्कोले (3) श्री अमित आनंद पाटकी	13-7-2010 से 12-7-2015
21	मैसर्स चौकसी लैबोरेट्रीज लि. 6/3, मनोरमागंज, इंदौर - 452001 (मध्य प्रदेश)	(1) श्री सुनील चौकसी (2) श्री केविश व्यास (3) श्रीमति शैला देशपांडे	13-7-2010 से 12-7-2015"

(ii) क्रम संख्या 81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	से लागू और तक विधिमान्य
(1)	(2)	(3)	(4)
"82	मैसर्स एनर्जी एंड रिसोर्सिज इंस्टीच्यूट, 6 सी, दरबारी सेठ ब्लॉक इंडिया हैबिटेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	(1) श्री अंशुमान (2) श्री आर. सुरेश (3) श्री वेद प्रकाश शर्मा	13-7-2010 से 12-7-2015
83	मैसर्स हरियाणा टेस्ट हाउस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, 50-सी, सेक्टर 25, भाग-II, हुड्डा पानीपत-132104 (हरियाणा)	(1) श्री एम. एल. दुआ (2) श्री टी. एल. मेहता (3) सुश्री दीपा सरदाना	13-7-2010 से 12-7-2015
84	मैसर्स डीटाक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी मंजिल, के. जी. चेम्बर्स, गुजरात समाचार प्रेस के सामने, रिंग रोड, सूरत-395002 (गुजरात)	(1) श्री अमित रोमोसे (2) श्री जितेन्द्र खसकिया (3) डॉ. भावना मेहरा	13-7-2010 से 12-7-2015
85.	मैसर्स थापर सेन्टर फॉर इन्डस्ट्रीअल रिसर्ज डेवेलप्मेंट (टीसीआईआरडी) थापर टेक्नालोजी कैम्पस, पोस्ट बाक्स नं. 68, भदसोन रोड पटियाला-147001 (पंजाब)	(1) श्री आकेपाति सिवाराम रेडडी (2) श्री जे. नागेन्द्र बाबू (3) श्री मुकेश अग्रवाल	13-7-2010 से 12-7-2015"

[फा. सं. क्यू-15018/7/2003-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 1539(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2007, का.आ. 1811(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2007, का.आ. 55(अ), तारीख 9 जनवरी, 2008, का.आ. 428(अ), तारीख 4 मार्च, 2008, का.आ. 865(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, का.आ. 1894(अ), तारीख 31 जुलाई, 2008, का.आ. 2728(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2008, का.आ. 1356(अ), तारीख 27 मई, 2009, का.आ. 1802(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009 और का.आ. 2399(अ), तारीख 18 सितम्बर, 2009 और का.आ. 3122(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2009 और का.आ. 3123(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2009 और का.आ. 142(अ), तारीख 21 जनवरी, 2010 और का.आ. 619(अ), तारीख 19 मार्च, 2010 द्वारा उसमें पश्चात्पूर्ति संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2010

S.O. 1662(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby recognizes the laboratories specified in column (2) of the Table given below as environmental laboratories to carry out the functions entrusted to such laboratories under the said Act and rules made thereunder, and the persons specified in column (3) as Government Analysts for the purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent for analysis by the Central Government or the officer empowered under Section 11 of the said Act, for a period specified in column (4) of the Table aforesaid, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007, namely :—

In the Table appended to the said notification :—

(i) for serial numbers 12 and 21 the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Laboratory	Name of the Government Analyst	Recognition with effect from and valid up to
(1)	(2)	(3)	(4)
"12	M/s. Horizon Services (Environmental and Safety), 39, Shyamsunder Society Near Mhatre Bridge, Pune-411033 (Maharashtra)	(1) Shri Kunal Manohar Nargolkar (2) Dr. Archana Waykole (3) Shri Amit Anand Patki	13-7-2010 to 12-7-2015
21	M/s. Choksi Laboratories Ltd., 6/3, Manoramaganj, Indore-452001 (Madhya Pradesh)	(1) Shri Sunil Choksi (2) Shri Kavish Vyas (3) Mrs. Shaila Deshpande	13-7-2010 to 12-7-2015"

(ii) after serial number 81 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Name of the Laboratory	Name of the Government Analyst	Recognition with effect from and valid up to
(1)	(2)	(3)	(4)
"82	M/s. The Energy and Resources Institute, 6C, Darbari Seth Block, India Habitat Centre Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	(1) Mr. Anshuman (2) Mr. R. Suresh (3) Mr. Ved Prakash Sharma	13-7-2010 to 12-7-2015
83	M/s. Haryana Test House and Consultancy Services, 50-C, Sector-25 Part-II HUDA, Panipat-132104 (Haryana)	(1) Shri M.L. Dua (2) Shri T.L. Mehta (3) Ms. Deepa Sardana	13-7-2010 to 12-7-2015
84	M/s. Detox Corporation Pvt. Ltd., 3rd Floor, K.G. Chambers, Opp. Gujarat Samachar Press, Ring Road, Surat-395002 (Gujarat)	(1) Mr. Amit Renose (2) Mr. Jitendra Khasakia (3) Dr. Bhavna Mehra	13-7-2010 to 12-7-2015
85	M/s. Thapar Centre for Industrial Research & Development (TCIRD) Thapar Technology Campus Post Box No. 68, Bhadson Road Patiala-147001 (Punjab)	(1) Dr. Akepati Sivaram Reddy (2) Shri J. Nagendra Babu (3) Shri Mukesh Agarwal	13-7-2010 to 12-7-2015"

[F.No. Q.15018/7/2003-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007 and subsequently amended *vide* Notification numbers S.O. 1539(E), dated the 13th September, 2007, S.O. 1811(E), dated the 24th October, 2007, S.O. 55 (E), dated 9th January, 2008, S.O. 428(E), dated the 4th March, 2008, S.O. 865(E), dated the 11th April, 2008, S.O. 1894(E) dated the 31st July, 2008, S.O. 2728(E), dated the 25th November, 2008, S.O. 1356(E), dated the 27th May, 2009, S.O.1802 (E), dated 22nd July, 2009 and S.O. 2399(E), dated the 18th September, 2009 and S.O. 3122(E), dated the 7th December, 2009 and No. S.O. 3123(E), dated the 7th December, 2009, S.O. 142(E), dated the 21st January, 2010, S.O. 619(E), 19th March, 2010.